न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 135/2019 **दायर दिनांकः 05/09/2019**

उनवान

1. कुलदीप आयु 26 वर्ष पुत्र कजोड़ीलाल जाति मीना

2. शिवराज आयु 24 वर्ष पुत्र कजोड़ीलाल जाति मीना

3. सलोचना आयु 28 वर्ष पुत्री कजोड़ीलाल जाति मीना

4. निर्मला आयु 22 वर्ष पुत्री कजोड़ीलाल जाति मीना निवासीगण नयागांव तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. कजोड़ उर्फ कजोड़ीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र बुद्धराम जाति मीना निवासी नयागांव तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

2. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां (राज0)

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाक : 26/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 41 के ख0न0 147 का रकबा 2.87 है0, कुल किता 1 का रकबा 2.87 है0 आराजी खातेदार कजोड़ उर्फ कजोड़ीलाल के खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से हैं :–

बुद्धराम उर्फ बुद्धा

↓

कजोड़ उर्फ कजोड़ीलाल

↓ ↓ ↓ ↓

कुलदीप	शिवराज	सलोचना	निर्मला
(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी 1 के पैतृक सम्पत्ति हैं जो प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हैं पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में वादीगण का हिस्सा निहित हैं। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/5–1/5 बनता हैं। जिसे वादीगण को विधिक तौर पर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त चला आ रहा हैं। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 लडाई–झगड़ा करने पर उतारू हुआ और कहा कि इस जमीन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं हैं। इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर हिस्से अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में वादीगण के नाम खाते दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन कर आराजी हिस्से अनुसार वादीगण के दर्ज नहीं की गई तो वादीगण को अपनी आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा जिससे अपरिमित क्षति होगी अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन करवाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में से वादीगण 1/5–1/5 हिस्सा अपने खाते पृथक से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा इस आशय का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 19/08/2019 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 लडाई–झगड़ा करने पर उतारू होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25/08/2019 को प्रतिवादी क्रम 3 के यहाँ चलकर खाता विभाजन करवाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन करने पर और प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल मोठपुर तह0 अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ने भारतीय स्टेट बेंक शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा हैं इसलिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा उक्त वाद खातेदारी की घोषणा का होने से उक्त वाद में तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 3 आवश्यक पक्षकार

बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावें कि :–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल मोठपुर में खाता संख्या 41 के ख0न0 147 का रकबा 2.87 है0, कुल किता 1 का रकबा 2.87 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की आराजी में से वादीगण के 1/5–1/5 व प्रतिवादी क्रम 1 के 1/5 हिस्सा पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के लिए प्रतिवादी क्रम 3 को दर्ज करवाने के आदेश प्रदान किये जाये।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 का भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू का रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 व वादीगण के हिस्से पर दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी ग्राम व माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0 की खाता संख्या 41 की खसरा नं0 147 की 2.87 है0 कुल किता 1 की 2.87 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/5–1/5 बनता है। जिसे राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्छी में दर्ज कर कृषक खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम व माल मोठपुर की खाता संख्या 41 की खसरा नं0 147 की 2.87 है0 आराजी पैत्रक सम्पत्ति है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा उक्त आरजी में 1/5–1/5 बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो राजीनामा निम्न प्रकार है। वादी क्रम 3 सलोचना व 4 निर्मला ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/5–1/5 का हकत्याग वादी क्रम 1 कुलदीप व 2 शिवराज के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। इसलिए वादी क्रम 1 कुलदीप व 2 शिवराज की हिस्सा 2/5–2/5 का कृषक खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। बंटवारे अनुसार पूरव दिशा के ओर का हिस्सा 1/5 प्रतिवादी क्रम 1 व उत्तर, दक्षिण दिशा

की ओर 2/5 हिस्सा वादी क्रम 1 कुलदीप व पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर 1/5 हिस्सा वादी क्रम 2 शिवराज का रहेगा।

अतः श्रीमान की सेवा मे राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादी क्रम 1 व 2 को हिस्सा 2/5 – 2/5 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/5 का कृषक खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

राजीनामा पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री महावीर नागर एड0 एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 41 कुल किता 1 रकबा 2.87 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र पुत्री है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण का हक निहित है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 41 किता 1 रकबा 2.87 है0, में वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामें अनुसार 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 सलोचना व वादी क्रम 4 निर्मला ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5, 1/5 वादी क्रम 1 कुलदीप व वादी क्रम 2 शिवराज को बिना प्रतिफल हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादी क्रम 1 के हक में हक त्याग करने से वादी क्रम 1 कुलदीप का हिस्सा 2/5 उत्तर दक्षिण दिशा वादी क्रम 2 शिवराज का हिस्सा 2/5 पश्चिम से दक्षिण दिशा व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 पूरब दिशा का हिस्सा रहन S.B.I. अटरू को खातेदार कृषक हक त्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 135/2019

उनवान

1. कुलदीप आयु 26 वर्ष पुत्र कजोड़ीलाल जाति मीना
2. शिवराज आयु 24 वर्ष पुत्र कजोड़ीलाल जाति मीना
3. सलोचना आयु 28 वर्ष पुत्री कजोड़ीलाल जाति मीना
4. निर्मला आयु 22 वर्ष पुत्री कजोड़ीलाल जाति मीना निवासीगण नयागांव तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. कजोड़ उर्फ कजोड़ीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र बुद्धराम जाति मीना निवासी नयागांव तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर0टी0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू..............X..............................

बहाजिर :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 41 किता 1 रकबा 2.87 है0, में वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को राजीनामें अनुसार 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 सलोचना व वादी क्रम 4 निर्मला ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5, 1/5 वादी क्रम 1 कुलदीप व वादी क्रम 2 शिवराज को बिना प्रतिफल हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादी क्रम 1 के हक में हक त्याग करने से वादी क्रम 1 कुलदीप का हिस्सा 2/5 उत्तर दक्षिण दिशा वादी क्रम 2 शिवराज का हिस्सा 2/5 पश्चिम से दक्षिण दिशा व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 पूरब दिशा का हिस्सा रहन S.B.I. अटरू को खातेदार कृषक हक त्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.10.21 15:49:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: